—सड़सठ—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–1927/11–2005–500(39)–2005
लखनऊ, दिनांक 25 मई, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–233

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या क0सं0वि0–5–4332/11–1999–500(20)–98, दिनांक 19 नवम्बर, 1999 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में चालू किये गये भूमि के अर्जन एवं विकास के लिए आवास परियोजनाओं में विनिधान नीति की ''थोक भूमि आवंटन प्रणाली'' के अधीन सरकारी अभिकरण और पंजीकृत विकासकर्ता के मध्य निष्पादित, 1899 के उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 35 के अधीन भूमि को उसके विकास के लिए पट्टे पर देने के लिए करार के लिखतों पर प्रति हजार अस्सी रुपये से प्रति हजार दस रुपये की स्टाम्प शुल्क की दर में कमी करते हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए सरकारी अभिकरण का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण से है या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-1927/XI-2005-500(39)-2005, dated May 25, 2005 for general information:

No. K.N.-5-1927/XI-2005-500(39)-2005
Lucknow, Dated May 25, 2005
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of Government notification no. K.S.V.-5-4332/XI-1999-500(20)-98 T.C., dated November 19, 1999, the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the rate of stamp duty from rupees eighty per thousand rupees to rupees ten per thousand rupees on instruments of agreement to let land for the development there of under Article 35 of Schedule 1-B of the aforesaid Act of 1899 executed between Government Agency and Registered Developer under "the Bulk Land Allotment Scheme" of the Policy of Investment in Housing projects in Urban Areas for Acquisition and Development of land floated by the Awas Evam Shahkari Niyojan Department of the Government of Uttar Pradesh.

Explanation: for the purpose of this Notification, Government Agency means a Development Authoriy constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President Act no. 11 of 1973) as amened and re-enacted by The Uttar Pradesh President's Acts (re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) or the Uttar Pradesh Awas evam Vikas Parishad constituted under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act no. 1 of 1966).

By order,
Sd/-Illegible
ATULCHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.